न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर (जिला चूरू)
पीठासीन अधिकारी– दिव्या (आर.ए.एस.)
वादपत्र संख्या 204/2023
अनुवान चन्दुराम बनाम रामलाल आदि
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट
निर्णय दिनांक 20/06/2025

चन्दुराम पुत्र स्व. गंगाराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील रदारशर जिला चूरू

–वादी

बनाम

1. रामलाल पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी मलसीसर पो. ऑफिस सोनपालसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. बनवारी पुत्र भीवाराम जाति जाट निवासी मलसीसर पो. ऑफिस सोनपालसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. चतरूराम पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी मलसीसर पो. ऑफिस सोनपालसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान।
5. सार्वजनिक निर्माण विभाग, सरदारशहर जरिये अधिषाशी अभियन्ता, सरदारशहर जिला चूरू

– प्रतिवादीगण

उपस्थितिः

1. श्री गोपाल कृष्ण सिहाग एडवोकेट वास्ते वादी।
2. श्री अजय कुमार सारण एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी सं. 1 ता 3
3. तहसीलदार सरदारशहर प्रतिवादी सं. 4
4. श्री कुन्दनसिंह एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी सं. 5

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू में स्थित कृषि भूमि गत ख.नं. 15. 22 तादादी क्रमशः 101.17. 62.13 बीघा किता–02 कुल तादादी 164.10 बीघा भूमि वादी एवं वादी के भाई शंकरलाल की सह–खातेदारी संयुक्त कब्जा, काश्त की भूमि रही है। उपर्युक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति से भाई बंटवारा कर लेने पर इ.स. 359 दिनांक 11.06.2016 को तस्दीक किया जाकर विभाजन के मुताबिक राजस्व अभिलेखो में खातेदारी अभिलेखित की गई। खाता विभाजन में गत ख.नं. 22 तादादी 62.13 बीघा व ख.नं. 240/15 तादादी 63.08 बीघा किता–02 कुल तादादी 126.01 बीघा भूमि वादी के हिस्से में आई तथा गत ख.नं. 239/15 तादादी 38.09 बीघा भूमि एवं अन्य भूमिया वादी के भाई शंकरराम के पांति में आई। तहसील क्षेत्र सरदारशहर में हुए गत बन्दोबस्त के दौरान वादी के तन्हा खातेदारी, कब्जा, काश्त की कृषि भूमि गत ख.नं. 22 तादादी 62.13 बीघा से हाल ख.नं. 32. 34, 194/34 तादादी क्रमशः 02.2000, 13.1800, 00.0100 हैक्टे. किता–03 कुल तादादी 15.3900 हैक्टे. भूमि वादी की खातेदारी एवं ट्यूबवैल के रूप में दर्ज की गई। वादी की खातेदारी, कब्जा, काश्त की भूमि गत ख.नं. 22 व 15 के मध्य में से कटानी रास्ता गांव सोनपालसर से मलसीसर को जाने वाला नक्शा संवंत 2018 में अंकित किया गया। लेकिन राजस्व अभिलेख नक्शा किश्तवार संवंत 2018 में दिखाया गया रास्ता से नक्शा में दर्शाये मुताबिक आवागमन मौके पर नहीं होकर दावा के पास संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में हरे रंग से प्रदर्शितानुसार रास्ता मौके पर उपयोग में सदामद

से लिया जाने से हरे रंग से प्रदर्शित रास्ता ही वादी सहित आम जन के आवागमन का प्रचलित रास्ता रहा है। नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में लाल रंग से प्रदर्शितानुसार एवं नक्शा किश्तवार संवंत 2018 में अंकितानुसार रास्ता वादी के खेत में से आवागमन के लिए कभी उपयोग में नहीं लिया गया, ना ही कभी कोई आवागमन हुआ, ना ही वर्तमान में लाल रंग से प्रदर्शित रास्ता से कोई आवागमन होता है।

वादी की पांति में आये खेत गत ख.नं. 22 तादादी 62.13 बीघा भूमि में से नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में हरे रंग से प्रदर्शित सदामद के प्रचलित रास्ता पर गांव सोनपालसर से मलसीसर तक प्रतिवादी सं. 05 द्वारा सन् 2007 में 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण करवाया गया। सड़क निर्माण सदामद के प्रचलित रास्ता पर करवाये जाने से वादी ने कोई आपत्ति नहीं की तथा प्रतिवादी सं. 05 ने भी बिना राजस्व नक्शा की जांच किये ही वादी के खेत में से कटानी रास्ता को छोड़कर वादी की खातेदारी भूमि पर सड़क निर्माण करवा दिया गया। वादी के खेत में से गुजरने वाले कटानी रास्ता गत ख.नं. 20 का रकबा सड़क निर्माण से पहले 04.14 बीघा था। लेकिन सड़क निर्माण के पश्चात् गत ख.नं. 20 मि. से हाल ख.नं. 30 तादादी 00.5900 हैक्टे कायम किये गये। वादी के खेत में नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग से प्रदर्शित सड़क मार्क "E" से "D" तक कटानी रास्ते रास्ते बनाई गई। लेकिन मार्क 'D' से "C" तक सड़क कटानी रास्ते को छोड़ते हुए वादी की खातेदारी, कब्जा, काश्त की भूमि पर से बनाई गई। वादी को प्रतिवादी सं. 05 द्वारा वादी के खेत में नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग से प्रदर्शित मार्क "D" से "C" सड़क के उपयोग में ली गई भूमि का विधि में विहितानुसार ना तो अर्जन किया और ना ही वादी को सड़क के उपयोग में ली गई भूमि का कोई मुआवजा ही दिया गया। कटानी रास्ता हाल ख.नं. 30 तादादी 00.5900 हैक्टे. का रकबा एवं गै.मु.सडक हाल ख.नं. 33 तादादी 00.4600 हैक्टे. लगभग बराबर होने से नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' मे लाल रंग से प्रदर्शित रास्ता मार्क "B" से "A" को नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड में से विलोपित करके वादी की खातेदारी में अंकित किये जाने से प्रतिवादीगण सं. 04 व 05 तथा आम जन के हितों पर कोई विपरित असर नहीं पड़ेगा। क्योकि वादी के खेत में से नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग से प्रदर्शित सड़क गुजरती है तथा सड़क बनने से पहले भी मौके पर वादी के खेत में हरे रंग से प्रदर्शित रास्ता मार्क "E" से "C" हमेशा का प्रचलित रास्ता रहा है। दावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" से मौके की वास्तविक स्थिति स्पष्ट प्रकट होती है। नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" दावा का अभिन्न भाग एवं अंश शुमार है। नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग से राजस्व अभिलेख में मार्क "B" से "A" कटानी रास्ता प्रदर्शित किया गया है तथा नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' हरे रंग से प्रदर्शित "E" से "D" भाग तक सड़क निर्माण राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कटानी रास्ता पर किया गया। लेकिन मार्क "D" से "C" भाग पर सड़क का निर्माण राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कटानी रास्ता पर नहीं किया जाकर वादी की खातेदारी, कब्जा, काश्त की भूमि पर प्रतिवादी सं. 05 द्वारा सदामद के प्रचलित रास्ता के मुताबिक करवा दिया गया। वादी ग्रामिण परिवेश का कृषि पेशा अनपढ़ व्यक्ति होने से वादी भी सदामद के प्रचलित रास्ता को ही राजस्व अभिलेख नक्शा के मुताबिक कटानी रास्ता होने के भ्रम में रहने के कारण सड़क निर्माण के समय रिकॉर्ड में वास्तविक कटानी रास्ते का ईल्म नहीं होने से ऐतराज नहीं किया। प्रतिवादीगण सं. 04 व 05 के लिए कटानी रास्ता पर ही "प्रधानमंत्री ग्रामिण सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण करवाना आज्ञापक होते हुए भी प्रतिवादी सं. 05 ने राजस्व अभिलेख व नक्शा की अनदेखी कर वादी के खेत में से नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में तत्समय प्रचलित रास्ता मार्क "D" से "C" भाग सडक निर्माण वादी की खातेदारी, कब्जा, काश्त की भूमि पर बिना किसी हक अधिकार के वादी की भूमि को विधिनुसार आवाप्त कर मुआवजा का भुगतान किये बिना ही करवा दिया गया। वादी के खेत में से नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग से प्रदर्शित सोनपालसर से मलसीसर सडक आवागमन हेतु मौके पर होने से नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग से प्रदर्शित रास्ता मार्क "B" से "A" का

खण्ड अधिकारी

कोई औचित्य या उपयोग नहीं है, ना ही रास्ता मार्क "B" से "A" वादी के खेत में से उपयोग में लिया गया, ना कोई आवागमन कभी रहा है। वर्तमान में भी आवागमन पूर्व प्रचलित रास्ता पर वादी के खेत में से नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में हरे रंग से प्रदर्शित सड़क मार्क "E" से "C" हो रहा है। इसलिए नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग से प्रदर्शित रास्ता मार्क "B" से "A" का कोई उपयोग नहीं होते हुए भी वादी से रंजिश रखने वाले प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 वादी के खेत में से गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग से प्रदर्शित रास्ता मार्क "B" से "A" से शक्ति के बल पर बिना अधिकार वादी की खड़ी फसल को बर्बाद कर जबरन रास्ता कायम करने की ऐलानिया धमकी देते है। प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 शक्तिशाली, धनाड्य और राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति होने से कभी भी मौका पाकर वादी की खड़ी फसल को बर्बाद कर रास्ता कायम कर सकते है। वादी ने प्रतिवादी सं. 04 को वादी के खेत में से सदामद से प्रचलित रास्ता मार्क "E" से "C" पर सड़क का निर्माण प्रतिवादी सं. 05 द्वारा करवा देने एवं वादी के खेत में से प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 सहित आम जन के आवागमन के लिए सडक मार्क "E" से "C" होने से राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा में से नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग से प्रदर्शित रास्ता मार्क "B" से "A" को विलोपित कर दुरूस्त करने का निवेदन किया गया तो उनके द्वारा वादी की कोई सुनवाई नहीं होने पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणार्थ एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड के लिए दावा हाजा प्रस्तुत किया गया है। वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' लाल रंग से प्रदर्शित मार्क "B" से "A" भूमि वादी की तन्हा खातेदारी, कब्जा, काश्त की कृषि भूमि होने से वादगत इस भूमि पर वादी का हर भांति कब्जा एवं उपयोग उपभोग मौके पर हमेशा से चला आ रहा है। प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 या अन्य किसी ने राजस्व कर्मचारियों द्वारा लिपिकीय त्रुटि वश राजस्व नक्शा में अंकित रास्ता मार्क "B" से "A" का कभी रास्ता के रूप में उपयोग उपभोग नहीं किया तथा मार्क "B" से "A" भाग की भूमि सदामद से ही वादी की तन्हा खातेदारी, कब्जा, काश्त की कृ षि भूमि होने से प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 को शक्ति के बल पर रास्ता कायम करने का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन रास्ता कायम करने को आमदा हो चुके है। वादी ने प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 को गलत कृत्य नहीं करने के लिए कहा एवं कहलवाया तो ब–मुकाम मलसीसर दिनांक 06.07.2023 को मानने से साफ इन्कार हो गये तो वादी ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल कर प्रतिवादी सं. 04 से रिकॉर्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने भी दुरूस्ती से इन्कार कर दिया।

वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि घोषित किया जावे कि तहसील क्षेत्र सरदारशहर की रोही मलसीसर में स्थित दावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर "ए" में लाल रंग से प्रदर्शित मार्क "B" से 'A' कृषि भूमि हाल ख.नं. 30 तादादी 00.5900 हैक्टे. वादी की तन्हा खातेदारी, कब्जा, काश्त की कृषि भूमि होने से राजस्व नक्शा एवं रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता को विलोपित करके नक्शा एवं रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर वादी के खातेदारी में अंकित की जावे तथा प्रतिवादी सं. 04 को मुताबिक नक्शा एवं राजस्व रिकॉर्ड में से नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग प्रदर्शित मार्क "B" से "A" रास्ता को विलोपित करके हाल ख.नं. 30 तादादी 00.5900 हैक्टे. भूमि को वादी की खातेदारी में अंकित कर नक्शा व रिकॉर्ड दुरूस्त कर लगान कायम करें।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री अजय कुमार सारण ने वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया तथा फर्द अहकाम पर वाद वादी प्रतिवादी सं. की ओर से स्वीकार होने का अंकन किया। प्रतिवादी सं. 5 की ओर श्री कुन्दनसिंह एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। प्रतिवादी सं. 5 को बार–बार अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी सं. 4 तहसीलदार सरदारशहर ने जवाबदावा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। जवाबदावा में अंकित किया कि वादी द्वारा गैर मुमकिन रास्ता भूमि की

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

सदामत के रास्ते के बदले खातेदारी अधिकार चाहे गये है। रास्ता की भूमि RT Act 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से वादी के नाम दर्ज नहीं की जा सकती। वाद वादी खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया। तनकी विरचित करने व साक्ष्य कराने की आवश्यकता नहीं हुई। पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई।

बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन कि कृषि भूमि ख.नं. 30 तादादी 0.5900 हैक्टे. रोही ग्राम मलसीसर वादी की तन्हा खातेदारी, कब्जा, काश्त की कृषि भूमि होने से राजस्व नक्शा एवं रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता को विलोपित करके नक्शा एवं रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर वादी के खातेदारी में अंकित की जावे तथा प्रतिवादी सं. 04 को मुताबिक नक्शा एवं राजस्व रिकॉर्ड में से नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'ए' में लाल रंग प्रदर्शित मार्क "B" से "A" रास्ता को विलोपित करके हाल ख.नं. 30 तादादी 0.5900 हैक्टे. भूमि को वादी की खातेदारी में अंकित कर नक्शा व रिकॉर्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी सं. 4 तहसीलदार सरदारशहर ने दौराने बहस कथन किया कि ने जवाबदावा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। जवाबदावा में अंकित किया कि वादी द्वारा गैर मुमकिन रास्ता भूमि की सदामत के रास्ते के बदले खातेदारी अधिकार चाहे गये है। रास्ता की भूमि RT Act 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से वादी के नाम दर्ज नहीं की जा सकती। वाद वादी खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र, जवाब पैरोकार राज एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा गैर मुमकिन रास्ता की भूमि की खातेदारी चाही गई है। रास्ता की भूमि RT Act 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से वादी खातेदारी हासिल करने की अधिकारिता नहीं रखता है और न ही वादी द्वारा खातेदारी हासिल करने का कोई आधार अंकित किया गया है। अतः प्रकरण RT Act की धारा 88, 89 की परिधि में नहीं आता। अतः वाद वादी इसी प्रक्रम पर खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः वर्णित विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी द्वारा गैर मुमकिन रास्ता की भूमि की खातेदारी चाही गई है। रास्ता की भूमि RT Act 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से वादी खातेदारी हासिल करने की अधिकारिता नहीं रखता है और न ही वादी द्वारा खातेदारी हासिल करने का कोई आधार अंकित किया गया है। अतः प्रकरण RT Act की धारा 88, 89 की परिधि में नहीं आता। अतः वाद वादी इसी प्रक्रम पर खारिज किया जाता है।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकन सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
सरदारशहर (चूरू)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D')

अज अदालत सहायक कलक्टर, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– दिव्या (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 204/2023
अनुवान चन्दुराम बनाम रामलाल आदि
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोपाल कृष्ण सिहाग एडवोकेट एवं श्री अजय कुमार सारण, श्री कुन्दनसिंह, पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा गैर मुमकिन रास्ता की भूमि की खातेदारी चाही गई है। रास्ता की भूमि RT Act 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से वादी खातेदारी हासिल करने की अधिकारिता नहीं रखता है और न ही वादी द्वारा खातेदारी हासिल करने का कोई आधार अंकित किया गया है। अतः प्रकरण RT Act की धारा 88, 89 की परिधि में नहीं आता। अतः वाद वादी इसी प्रक्रम पर खारिज किया जाता है।

....बीज..............................

........मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह

.... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....

.... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर:

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा सरदारशहर (चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	07	00	मिजान	02	00